

jk t dh; egkfo | ky; Hkkj:t rg l hy HkkjUt ft yk gehjiij] fgekpy in:'k d: Nk= fuf/k
y:[kkvk dk vid{k.k ifronuA
vof/k 4@2009 I 3@2011
Hkkx&, d

1- xr vid{k.k ifronu %& गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतू की गई
अनुपालना के सत्यापनोपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

¼d½ vid{k.k ifronu vof/k 7@2002 I 3@2006 %&

- | | | | |
|---|--------------|-----------|--|
| 1 | पैरा 3(4)(ख) | अनिर्णीत | |
| 2 | पैरा 3(5) | निर्णीत। | (₹750/-की राशि रसीद सं0 0217724 के द्वारा
दिनांक 11.11.10 को जमा करवा दी गई।) |
| 3 | पैरा 4 | अनिर्णीत। | |
| 4 | पैरा 5(ख) | निर्णीत। | (अनुपालना दिखा दी गई) |
| 5 | पैरा 6 | निर्णीत। | (₹2210/-की रसीद सं0 103685, दिनांक 24.08.06
को जमा करवा दी गई) |

¼d½ vid{k.k ifronu vof/k 4@2006 I 3@2009 %&

- | | | | |
|----|--------------|----------|--|
| 1 | पैरा 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है) |
| 2 | पैरा 4(3)(क) | अनिर्णीत | |
| 3 | पैरा 4(3)(ख) | अनिर्णीत | |
| 4 | पैरा 4(3)(ग) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा 5 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 6 | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 7 | अनिर्णीत | |
| 8 | पैरा 8 | निर्णीत | (अभिलेख तैयार कर लिया गया है) |
| 9 | पैरा 9 | निर्णीत | (₹315/-की रसीद सं0 0217657, दिनांक 10.11.10
के द्वारा जमा करवा दी गई) |
| 10 | पैरा 10(क) | निर्णीत | (अनुपालना कर ली गई है) |
| 11 | पैरा 10(ख) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 10(ग) | अनिर्णीत | |

Hkkx nkA

- 2- oreku vid{k.k %& राजकीय महाविद्यालय भोरन्ज स्थित कज्याण का वर्तमान अंकक्षण एवं परीक्षण श्री अजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 06.04.2011 से 23.04.2011 तक कज्याण में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित हैं। निम्नलिखित मासों का चयन विस्तृत जांच हेतु किया गया।

सत्र	आय	व्यय
2009—10	6 / 2009	10 / 2009
2010—11	6 / 2010	11 / 2010

Disclamer :-

“The Audit Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the Controlling Officer of the institution. Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non-information on the part of Auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for test/detailed check.”

- 3- vid{k.k 'kYd %& अवधि 4/2009 से 3/2011 तक के अंकक्षण शुल्क का आंकलन ₹14000/— किया गया। उपरोक्त राशि को अंकक्षण अधियाचना सं० 113, दिनांक 23.04.2011 के द्वारा प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय भोरन्ज से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि०प्र० षिमला-9 के नाम भेजने का अनुरोध किया गया है।

- 4- forrh; fLFkfr %& राजकीय महाविधालय के छात्र निधियों की अवधि 4/09 से 3/11 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

o"ki 2009&10

fuf/k dk uke	ikjFEHkd 'k"'	o"ki ei ikflr	diy jkf'k	o"ki ei 0; ;	jkdm ogh d vu lkj 'k"'	cid cpr [kkri ei tek jkf'k	lkof/k tek ei fuof'kr jkf'k	gLrxr ;k vf/kd tek
समिश्रित निधि	530690	1684895	2215585	1606071	609514	344972	267542	3000
पत्रिका निधि	51642	16219	67861	19618	48243	32211	16032	—
एन०सी०सी०	2478	610	3088	—	3088	3088	—	—
गृह परीक्षा निधि	487	6317	6804	6514	290	290	—	—
पुस्तकालय निधि	106326	37749	144075	4312	139763	59113	80950	300 एक्सैस
अनुपस्थिति दण्ड निधि	53110	21912	75022	25156	49866	23146	26720	—
भौतिक शास्त्र	3237	9044	12281	575	11706	11706	—	—
रसायन शास्त्र	3892	13395	17287	9245	8042	8042	—	—
वोटनी	61	4141	4202	695	3507	3507	—	—

जयोलौजी	619	4168	4787	525	4262	4262	—	—
जियोग्राफी	38649	8995	47644	480	47164	47164	—	—
कम्पयुटर	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रेक्टिकल								
शारीरिक शिक्षा	—	4218	4218	180	4038	4038	—	—
निधि								
भारत स्काउट	117140	45701	162841	—	162841	162841	—	—
एवं गार्ड								
खेल निधि	—	—	—	—	—	—	—	—
कम्पयूटर निधि	—	—	—	—	—	—	—	—
युनिवर्सिटी	11654	68596	80250	64657	15593	15593	—	—
डयूज								

o"ki 2010&11

fuf/k dk uke	ikjfeHkd 'k"'	o"ki ei ikflr	diy jkf'k	o"ki ei 0; ;	jk dM ogh di vu kj 'k"'	cd cpr [kkri ei tek jkf'k	l kof/k tek ei fuof'kr jkf'k	gLrxr ;k vf/kd tek
समिश्रित निधि	609514	499252	1108766	466156	642610	377588	316724	51702 इस
पत्रिका निधि	48243	34069	82312	20250	62062	44794	17268	अन्तर बारे
एन0सी0सी0	3088	3379	6467	—	6467	6467	—	मिलान
गृह परीक्षा निधि	290	20709	20959	16237	4762	4762	—	करके
								आगामी
								अंकेक्षण के
								समय
								वस्तुस्थिति
								स्पष्ट की
								जाए।
पुस्तकालय निधि	139763	37399	177162	200	176962	89871	87191	100
अनु0 दण्ड निधि	49866	23537	73403	26133	47270	18490	28780	—
भौतिक शास्त्र	11706	17832	29538	—	29538	29538	—	—
रसायन शास्त्र	8042	25939	33981	14635	19346	19346	—	—
वोटनी	3507	8499	12006	—	12006	12006	—	—
जयोलौजी	4262	8729	12991	2000	10991	10991	—	—
जियोग्राफी	47164	12911	60075	—	60075	60075	—	—
कम्पयुटर	—	2473	2473	240	2233	2233	—	—

प्रैक्टिकल

शारीरिक शिक्षा निधि	4038	4603	8641	—	8641	8641	—	—
भारत स्काउट एवं गार्ड निधि	162841	45178	208019	23160	184859	184859	—	—
खेल निधि	—	165685	168685	105663	60022	60022	—	—
कम्प्यूटर निधि	—	12052	12052	1300	10752	10752	—	—
युनिवर्सिटी ड्यूज	15593	79016	94609	77861	16748	16748	—	—

1.2 फोल्डरों में जमा राशियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजकीय महाविद्यालय

(क) रोकड़ बहियों व बैंक में जमा राशियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि राजकीय महाविद्यालय भोरन्ज द्वारा सरकार से प्राप्त अनुदान राशियों को जिनका छात्र निधियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, छात्र निधि खातों में जमा करके विभिन्न तिथियों व मासों में भुगतान किया गया जिसके चलते यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किस वाक्य का भुगतान छात्र निधियों से किया गया था और किस का भुगतान सरकार से प्राप्त अनुदान से। ऐसा करके छात्र निधि खातों को अनावश्यक रूप से जटिल एवं पेचिदा बना दिया गया है क्योंकि किसी निश्चित समय पर छात्र निधियों की वास्तविक वित्तीय स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो सकता था। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि छात्र निधि खातों में भाग छात्रों से प्राप्त राशियों व उनसे सम्बन्धित भुगतान का लेखा-जोखा रखा जाए ताकि छात्र निधि खातों के सम्बन्ध में किसी तिथि विशेष को मांगी जाने वाली सूचनाएँ स्वच्छ एवं वास्तविक उपलब्ध करवायी जा सकें उदाहरण के रूप में समिश्रित निधि में विभिन्न प्रकार के सरकारी अनुदानों को जमा करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

ek l	jkf'k	l jdkjh vunku dk mn';
3/2009	893871/—	फर्नीचर खरीदने हेतु
9/2009	423695/—	खेल एवं विज्ञान से सम्बन्धित सामान खरीदने हेतु
3/2010	91200/—	आई0आर0डी0पी0 छात्रवृत्ति
4/2010	138467/—	छात्रवृत्ति

1.2 अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा छात्र निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बहियों में जमा नहीं किया गया था जिस कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान करते समय बैंक खातों में अधिक जमा दर्शाया जाता है। अतः भविष्य में विभिन्न छात्र निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों की परिपक्वता तिथि पर मिलने वाले ब्याज के इन्द्राज सम्बन्धित रोकड़ बहियों में किए जाएं ताकि मिलान करते समय अन्तर की राशि का समायोजन स्वतः स्पष्ट हो सके।

1/2x1/2 IfefJr fuf/k [kkri dh cid lek/kku fooj.kh %&

1/21/2 o"ki 2009&10

(1) दिनांक 01.04.2009 को अथषे	530690
(2) वर्ष में प्राप्ति	1684895
	dly jkf'k 22]15]585@&
वर्ष में व्यय	1606071 /—
रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	609514 /—
बैंक में जमा राशि	
बचत खाता	344972 /—
सावधि जमा	303400 /—
कुल जमा राशि	648372 /—
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज जिसे	
रोकड़ बही में जमा नहीं किया गया है	35858 /—
	612514@&
संस्था द्वारा जारी चैक जिसे 31.03.10	
तक बैंक द्वारा भुगतान नहीं किया है	3000@&
	609514@& 609514@&

1/22/2 o"ki 2010&11

(1) 01.04.10 को अथषे	609514 /—
(2) वर्ष में प्राप्त राशि	499252 /—
कुल राशि	1108766 /—
(3) वर्ष में व्यय	466156 /—
रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	642610 /—

5- IfefJr fuf/k %&

1/2d1/2 माह 10/2009 में वाऊचर संख्या: 257 के द्वारा श्री वाई0पी0 सैनी को दिए गए ₹7000/— के अग्रिम जो अवधि 13.10.2009 से 15.10.2009 तक राजकीय महाविद्यालय सोलन में आयोजित युथ फैंस्टिवल ग्रुप-11 में भाग लेने वाले छात्रों से सम्बन्धित खर्च को वहन करने हेतु लिया गया था, का अवलोकन करने पर पाया गया कि समायोजन हेतु प्रस्तुत वाऊचरों का योग ₹7443/— लगाया गया है जबकि वास्तव में योग ₹7433/— बनता था। अतः योग में गलती के कारण ₹10/— का अधिक भुगतान किया गया है। जिसके सम्बन्ध में

औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली करके छात्र निधियों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

¼[k½ मास 10/2009 में वाऊचर संख्या: 258 के द्वारा श्री नन्द लाल प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा को ₹9000/- का अग्रिम वालीवाल इन्टर-कॉलेज चैम्पियनशिप जो राजकीय महाविद्यालय पालमपुर में अवधि 13.10.2009 से 16.10.2009 तक आयोजित की गई थी, से सम्बन्धित खिलाड़ियों का खर्च वहन करने हेतु दिया गया था। उपरोक्त राशि में से ₹6600/- खर्च किए गए तथा शेष राशि ₹2400/- को रसीद संख्या: 227985, दिनांक 10.03.2010 के द्वारा लगभग 4 माह के अन्तराल के बाद जमा करवाया गया जबकि दिए गए अग्रिम की राशि से शेष बची रकम को उद्देश्य की पूर्ति होने की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करवाना आवश्यक था। अतः अप्रयुक्त शेष राशि को इतनी लम्बी अवधि तक अनावश्यक रूप से हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अस्थाई रूप से दुर्विनियोजन राशि पर देय दण्ड ब्याज की वसूली करके छात्र निधियों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

¼X½ निम्नलिखित वाऊचरों के द्वारा दिए गए अग्रिम के विरुद्ध प्रस्तुत समायोजन लेखाओं का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अग्रिम राशि से सम्बन्धित भुगतान वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु दिए गए अग्रिम के विरुद्ध प्रस्तुत समायोजन वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा इस आशय की पुष्टि के साथ भुगतान हेतु पारित किया जाता है कि संलग्न वाऊचर दिए गए अग्रिम के उद्देश्य से सम्बन्धित है व सही है। अतः आपेक्षित कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भूल का सुधार अब करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

- 6- ₹600/- का भुगतान मैं 0 Future News Pvt.Ltd. चण्डीगढ़ को फ्युचर एक्सप्रेस पत्रिका लगाने हेतु मास 10/2009 में चैक/ड्राफ्ट के द्वारा किया गया। उपरोक्त राशि के विरुद्ध प्राप्त पत्रिका से सम्बन्धित अभिलेख मांगने पर अंकेक्षण को बताया गया कि इस राशि के विरुद्ध कोई पत्रिका प्राप्त नहीं की गई और यह राशि 10/2009 से अंकेक्षण समाप्ति की तारीख तक बिना कारण लगभग डेढ़ वर्ष तक बैंक खातों से बाहर पड़ी रही। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इस राशि को वापिस लेने हेतु न ही उचित कार्यवाही की गई और न ही इस राशि के विरुद्ध पत्रिका प्राप्त करने हेतु पत्राचार किया गया। अतः इस राशि को बिना कारण बैंक खातों से बाहर रहने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि के बैंक खातों में जमा रहने की स्थिति में मिलने वाले ब्याज की हुई हानि की वसूली करके मूलधन सहित छात्र निधि खातों में जमा करवायी जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

- 7- [kydn fuf/k %&

मास 11/2010 में वाऊचर संख्या: 11 के द्वारा श्री करनैल सिंह, सहायक प्रोफ़ेसर (शारीरिक शिक्षा) को ₹16000/- का अग्रिम इन्टर कॉलेज एथलैटिक्स मीट जो दिनांक 27.11.10 से 29.11.10 तक राजकीय

महाविद्यालय ऊना में आयोजित की गई थी से सम्बन्धित समायोजन वाक्यचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रतियोगिता में 18 छात्र/छात्राओं को भाग लेने हेतु यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व अल्पहार भत्ता दिया गया लेकिन संस्था द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रवेश पत्र जो महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था, अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रवेश पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कौन-कौन सा खिलाड़ी किस प्रतियोगिता के लिए भेजा गया था तथा इस सन्दर्भ में किए गए व्यय को भी प्रवेश पत्र के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त प्रवेश पत्र अगले अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाया जाए ताकि किए गए व्यय की पुष्टि भेजे गए खिलाड़ियों की वास्तविक संख्या से की जा सके।

8 वर्ष 2009-10 व 2010-11 हेतु छपवाई गई विवरण पुस्तिकाओं (Prospectus) की बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा वर्ष 2009-10 हेतु मुद्रित विवरण पुस्तिकाओं में से बिक्री के उपरान्त दिनांक 10.06.2010 को 172 विवरण पुस्तिकाएँ शेष थी जिन्हें न ही छात्रों को बेचा गया और न ही वर्ष 2010-11 हेतु छपवाई गई विवरण पुस्तिकाओं की संख्या में जोड़ा गया है। अतः अनुपालना हेतु राय दी जाती है कि इन शेष बची विवरण पुस्तिकाओं को बेच कर उस से प्राप्त आय को छात्र निधियों में जमा करवाया जाए अन्यथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर बट्टे खाते में डाला जाए तथा इन शेष बची विवरण पुस्तिकाओं को रद्दी के भाव बेच कर उससे प्राप्त राशि को छात्र निधियों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

9 वर्ष 2010-11 की विवरण पुस्तिका में समाविष्ट प्रवेश सूची के अनुसार 21.06.10 से 30.06.10 तक प्रवेश विलम्ब शुल्क ₹10/- के साथ देने का प्रावधान किया गया था। तदुपरान्त 01.07.2010 से 31.07.2010 तक ₹20/- विलम्ब शुल्क लेने का प्रावधान किया गया था। निधि एकत्रिकरण रजिस्टर (Fund Collection Register) का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्नलिखित छात्राओं को दिनांक 02.07.2010 के प्रवेश दिया गया जिन से ₹20/- विलम्ब शुल्क लेने के स्थान पर ₹10/- की वसूली की गई। अतः निम्न विवरणानुसार ₹20/- की कम वसूली करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली चूककर्ता से कर के सरकारी कोष में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

fnukd	Nk=k dk uke	j lhn l; ;k	d{kk	jky uEcj
02.07.10	सुषमा देवी	0205426	बी0 कॉम0-1	1044
02.07.10	किरण कुमारी	0205427	बी0 कॉम0-2	495

10 Nk= fuf/k; k l fn, x, vfxek d lek; ktu ckj %&

निधि खातों से निम्नलिखित राशियों का भुगतान कार्यालय से सम्बन्धित बिलों के रूप में किया गया जिन्हें 31.03.2011 तक सरकार से प्राप्त अनुदान राशि से वापिस नहीं किया गया है जो एक गम्भीर अनियमितता है। छात्र निधियों को खर्च करने से सम्बन्धित बनाए गए नियमों में इन मदों पर खर्च करने का कोई प्रावधान

नहीं था। अतः इतनी लम्बी अवधि तक इन राशियों की प्रतिपूर्ति छात्र निधियों में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन राशियों के बैंक खातों में जमा रहने पर मिलने वाले ब्याज की राशि सहित प्रतिपूर्ति शीघ्र करके अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

ek l	okÅpj l l ;k	jkf'k	
5 / 2010	323	158	दूरभाष बिल
6 / 2010	325	151	दूरभाष बिल
8 / 2010	338	123	दूरभाष बिल
01 / 2011	369	4290	बिजली बिल
01 / 2011	370	392	दूरभाष बिल
01 / 2011	371	11590	दूरभाष बिल
2 / 2011	378	1607	दूरभाष बिल
3 / 2011	387	7025	दूरभाष बिल
3 / 2011	388	287	दूरभाष बिल
3 / 2011	389	200	दूरभाष बिल

11 fofo/k %&

%d% राजकीय महाविद्यालय भोरन्ज द्वारा छात्रों से निधि एवं शुल्कों की प्राप्ति विभिन्न किस्तों में की गई है लेकिन छात्रों से प्राप्त निधि एवं शुल्कों के लेखांकन हेतु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर (Demand & Collection Register) नहीं लगाया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संस्था में अध्ययनरत छात्रों से निधि एवं शुल्कों की सभी किस्तें वसूल कर ली गई थी या नहीं। अतः उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर लगाया जाए जिस से प्रत्येक पन्ने पर प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत खाता लगाकर प्रत्येक सत्र में छात्रों से प्राप्त निधि एवं शुल्कों की सभी किस्तों का विवरण रसीद के क्रमांक व दिनांक सहित दिया जाए ताकि इस अभिलेख के अवलोकन करने पर यह ज्ञात किया जा सके कि प्रत्येक छात्र से निधि एवं शुल्क के रूप में सभी किस्तें वसूल कर ली गई थी।

%[k% छात्र निधि से खरीदे गए स्थाई प्रकृति के सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के दौरान कुछ सामान अप्रयोग योग्य पाया गया था जिसे आज दिन तक सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर बट्टे खाते में डाल कर नीलाम नहीं किया गया है। अतः समय-समय पर सुविधानुसार बेकार पड़े सामान की नीलामी करके प्राप्त राशि को छात्र निधियों में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

11- y?k vkifr foojf.kdk %& इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

12- fu"d"k %& छात्र निधि लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या : फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)14(6)102 / 06-खण्ड-1, दिनांक, षिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

1. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविद्यालय भोरंज, तहसील भोरन्ज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश षिमला-9 को षीघ्र भेजें ।
2. निदेशक, शिक्षा विभाग, हि0प्र0 षिमला-171001.

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

वृत्ति दिनांक : १५